राजस्व अपील संख्या : 70 / 2024

उनवान : चुन्नीलाल बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 70 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 459

अपीलाण्ट :– रेस्पोडेण्ट :–

चुन्नीलाल पुत्र सेसाराम जाति सीरवी निवासी दांतीवाडा तहसील बाली जिला पाली राज. बनाम

1. तहसीलदार बाली
2. पोमाराम पुत्र सेसाजी
3. अंशी पुत्री सेसाजी हाल निवास दादाई तहसील देसूरी
4. वदनो पुत्री सेसाजी, हाल निवास रावतों का बेरा उन्दरथल, तहसील देसूरी तमाम जातिगण सीरवी निवासीगण दातीवाडा, तहसील बाली जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1288 जो तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 05.07.2023 अस्वीकृत किया गया को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 29.12.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा दातीवाडा के नामान्तरकरण संख्या 1288 दिनांक 05.07.2023 के सम्बन्ध में पारित अस्वीकृति आदेश को निरस्त करवाने बाबत्** पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा दातीवाडा तहसील बाली में स्थित खसरा नम्बर 714 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा खसरा नम्बर 715 रकबा 1.91 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या दो लगाय चार के खातेदारी की कृषि भूमि थी। जिस भूमि के बंटवाडा एवं खातेदारी घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरस्ती का एक वाद अपीलाण्ट द्वारा बहैसियत वादी, रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय चार के विरुद्ध माननीय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय में पेश किया हुआ था। जिस वाद में दिनांक 21.11.2022 को न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय सुनाते हुए डिक्री पारित की गई जिस अनुसार उपरोक्त भूमि में वादी चुन्नीलाल का 5 / 12 प्रतिवादी संख्या एक ओमाराम का 5 / 12, प्रतिवादी संख्या दो अंशी का 1 / 12 व प्रतिवादी संख्या वदनो का 1 / 12 हिस्सा खातेदार घोषित किया गया था एव इस अनुसार ही डिक्री पारित की गई थी। इसी दौरान उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में रास्ते का विवाद होने पर अपीलाण्ट से कुल रकबा भूमि में से 0.0420 हैक्टर भूमिधारी तहसीलदार बाली ने समर्पण करवाई इस प्रकार समर्पण करने के बाद खसरा

आत. जिला कलक्टर बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 70/2024

उनवान : चुन्नीलाल बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

नम्बर 1054/707 रकबा 0.0900 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 1056/715 रकबा 1.7780 हैक्टेयर बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 714 रकबा 0.0200 हैक्टेयर गै.मु. बेरा कुल रकबा 1.8880 हैक्टेयर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या दो लगाय चार की खातेदारी में रखा गया एवं जमाबंदी में उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज चल रही थी। इसी बीच अपीलाण्ट के पक्ष में हुए निर्णय की अनुपालना हेतु उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय से एक पत्र क्रमांक/कोर्ट/2022/3975–76 दिनांक 08.12.2022 रेस्पोडेण्ट संख्या एक के नाम जारी किया गया जिसमें निर्णय व डिक्री अनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट 15 दिन में न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश जारी हुआ था। जिस आदेश को तहसीलदार बाली ने आगे भेजते हुए पटवारी हल्का को अपने पत्र क्रमांक/नजारत/2022/9019 दिनांक 12.12.2022 द्वारा निर्देश जारी किये, जिसकी अनुपालना में पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 1288 दिनांक 12.05.2023 भरा, जिसमें लिखा कि श्रीमान के आदेशानुसार खसरा नम्बर 714, 715 कुल रकबा 1.9300 हैक्टेयर परन्तु वर्तमान जमाबन्दी अनुसार रकबा मिलान नही होने से काबिल खारिज है।जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक बाली द्वारा दिनांक 28.06.2023 को जांच किया इन्द्राज गलत पाया, लिखा और नामान्तरकरण तहसीलदार बाली को प्रेषित कर दिया, जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 03.07.2023 को अस्वीकृत लिखते हुए नामान्तरकरण को खारिज कर दिया। अतः अपीलाण्ट की तरफ से अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1288 को अस्वीकृत किये जाने का आदेश को खारिज फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश की अनुपालना में एवं बाद की परिस्थिति में हुए खसरा नम्बर व रकबे के बदलाव को ध्यान में रखते नामान्तरकरण भरने के निर्देश रेस्पोडेण्ट संख्या एक को जारी किया जावे।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेण्ट को ज़रिए सम्मन तलब किया गया तथा आलोच्य नामान्तरकरण का मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1,3 एवं 04 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

वक्त बहस काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित कथनों को ही बहस के बिन्दु माने जाने का निवेदन किया तथा काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या दो द्वारा अपील में उल्लेखित कथनों का स्वीकार करते हुए कोई प्रतिकार नहीं किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा आलोच्य आदेश से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम, अपील के साथ प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम का अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिकार नहीं करने से उक्त मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत अपील को अवधिशुमार घोषित किया जाता है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली राजस्व वाद प्रकरण संख्या 24/2021 में प्रदत निर्णय दिनांक 21.11.2022 की पालनार्थ दर्ज जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1288 को तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 05.07.2023 को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि वर्तमान जमाबन्दी अनुसार विवादित प्रश्नगत आराजी का रकबा मिलान नहीं हो रहा। तहसीलदार द्वारा प्रदत्त उक्त अस्वीकृति आदेश को हस्तगत अपील के ज़रिये चुनौति प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली में उपलब्ध प्रमाणित दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि इसी कृषि आराजी के सम्बन्ध में समान पक्षकारों के मध्य एक राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में पूर्व में भी दर्ज हुआ था, जो बाद प्रकरण संख्या 38/2013 के रुप में दिनांक 17.06.2016 को निर्णीत करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा खसरा संख्या 715 में से सार्वजनिक रास्ता कायम किया गया तथा खसरा संख्या 707 में से कुछ भू–भाग अपीलार्थी के खाते में दर्ज करने

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 70 / 2024

उनवान : चुन्नीलाल बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

के निर्देश दिए गए। उक्त निर्णय दिनांक 17.06.2016 की पालना को राजस्व कार्मिकों द्वारा पांच वर्ष से अधिक अवधि तक लम्बित रखा गया। दिनांक 20.12.2021 को ज़रिए नामान्तरकरण संख्या 1199 के उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करते हुए तत्समय खसरा संख्या 715 कुल रकबा 1.91 हैक्टेयर में से 0.1320 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज करते हुए शेष 1.7780 हैक्टेयर भूमि खसरा संख्या 1056 / 715 के रुप में अपीलार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो से चार की खातेदारी में दर्ज रखी। इसी प्रकार तत्समय खसरा संख्या 707 कुल रकबा 0.46 हैक्टेयर गै.मु.रास्ता में से 0.09 हैक्टेयर भूमि कम करते हुए नवीन खसरा संख्या 1054 / 707 उभयपक्षकारों की सयुंक्त खातेदारी में दर्ज की गई, किन्तु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा प्रकरण संख्या 38 / 2013 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 17.06.2016 की पालना ज़रिए उक्त नामान्तरकरण संख्या 1199 पांच वर्ष से अधिक अवधि उपरान्त दिनांक 20.12.2021 को की गई एवं उक्तानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत होने से पूर्व दिनांक 22.03.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में दर्ज वाद संख्या 24 / 2021 को न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2022 को निर्णीत करते हुए उभयपक्षकारों के मध्य हिस्साकशी तय की गई। चूंकि उक्त वाद 24 / 2021 के दायर होने की तिथि 22.03.2021 तक नामान्तरकरण संख्या 1199 दर्ज एवं स्वीकृत ही नहीं हुआ था, अतः खसरा एवं रकबा पूर्व जमाबंदी अनुसार ही निर्णय में अंकित हुआ। उक्त त्रुटि न्यायालय स्तर पर हुई लिपिकीय त्रुटि न होकर राजस्व कार्मिकों की लापरवाही के परिणाम स्वरुप उत्पन्न त्रुटि थी, जिसमें हल्का पटवारी भीटवाडा एवं तहसीलदार बाली द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के पूर्व वाद प्रकरण संख्या 38 / 2013 में प्रदत निर्णय 17.06.2016 की पांच वर्ष से अधिक अवधि तक पालना लम्बित रखी गई एवं इस अवधि अन्तराल में न्यायालय द्वारा राजस्व वाद 24 / 2021 में प्रदत्त अन्य निर्णय के कारण खसरा संख्या 715 के रकबे में अन्तर आया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व वाद प्रकरण संख्या 24 / 2021 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 21.11.2022 की अनुपालना में दर्ज ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1288 को इसी विसंगति के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामंजूर किया गया। यह आश्चर्यजनक एवं समझ से परे है, चूंकि खसरा संख्या 715 के रकबे में उक्त विसंगति राजस्व कार्मिकों द्वारा कर्तव्य निष्पादन में की गई लापरवाही से उत्पन्न विसंगति है जहाँ हल्का पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा न्यायालय के निर्णय की पालना को पांच वर्ष से अधिक अवधि तक अकारण ही लम्बित रखा गया। बतौर भूमिधारी यह तहसीलदार का ही दायित्व है कि न्यायिक निर्णयों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करें एवं राजस्व अभिलेखों को अद्यतन संधारित रखें। तहसीलदार बाली से यह अपेक्षित था कि ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1288 को अस्वीकार करने से पूर्व इस तथ्य की जांच करते कि खसरा संख्या 715 के रकबे में अन्तर का क्या कारण है अथवा ऐसा निर्णय देने से पूर्व पक्षकारों को तलब कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता। यदि तहसीलदार बाली द्वारा उपरोक्तानुसार सम्यक जांच निष्पादित की जाती तो यह स्पष्ट हो जाता कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.06.2016 की पालना को पांच वर्ष से अधिक की विलम्ब अवधि उपरान्त ज़रिए नामान्तरकरण संख्या 1199 दिनांक 20.12.2021 अमलदरामद करने के कारण ही पूर्व खसरा संख्या 715 के रकबे में मिलान नहीं हो पा रहा है एवं उक्त नामान्तरकरण 1199 स्वीकृति दिनांक 20.12.2021 से पूर्व ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में दिनांक 22.03.2021 को दायर किए गए वाद संख्या 24 / 2021 में न्यायालय द्वारा पूर्व जमाबंदी में अंकन अनुसार ही खसरा संख्या 715 एवं रकबा 1.93 हैक्टेयर अंकन किया गया। किन्तु तहसीलदार बाली द्वारा आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1288 को अस्वीकृत करने से पूर्व न तो ऐसी कोई सम्यक् जांच निष्पादित की गई और न ही पक्षकारों / खातेदारों को सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया। राजस्व कार्मिकों के स्तर पर कर्तव्य निष्पादन में कारित लापरवाही के लिए पक्षकारों को दण्डित किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

राजस्व अपील संख्या : 70/2024

उनवान : चुन्नीलाल बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अतः तहसीलदार बाली द्वारा पटवार मण्डल भीटवाडा के नामान्तरकरण संख्या 1288 के सम्बन्ध में पारित अस्वीकृति आदेश दिनांक 05.07.2023 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण पुनर्प्रेषित कर तहसीलदार बाली को निर्देश दिए जाते हैं कि पूर्व नामान्तरकरण संख्या 1199 दिनांक 20.12.2021 से राजस्व अभिलेख में हुई प्रविष्टि के क्रम में ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2021 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 21.11.2022 की अनुपालना एक माह में सुनिश्चित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)